पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2023 का आपराधिक रिट क्षेत्राधिकार मामला सं. 1766

थाना काण्ड सं.-8 वर्ष-2022 थाना-सी.बी.आई. मामला जिला-पटना से उद्भूत।

==========

रूपेश कुमार, पुत्र-स्वर्गीय बिपिन कुमार, निवासी-सुनैना स्थित निवेशनम सेतु नगर न्यू बाईपास रोड, अनीशाबाद थाना-बेउर जिला-पटना

..... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. भारत संघ, रेल मंत्रालय अवर सचिव, रेलवे बोर्ड नई दिल्ली के माध्यम से प्रतिनिधित्व किया गया
2. अवर सचिव, रेल मंत्रालय, रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत स्वीकृति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी का प्रतिनिधित्व करते हुए
3. केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, शाखा प्रमुख का कार्यालय, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा बेली रोड पटना, पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं शाखा प्रमुख, सीबीआई के माध्यम से प्रतिनिधित्व
4. पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं शाखा प्रमुख, सी.बी.आई. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, पटना बिहार
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीबीआई भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, पटना बिहार
6. अन्वेषण अधिकारी सह पुलिस उपाधीक्षक, सी.बी.आई. भ्रष्टाचार निरोधक शाखा पटना बिहार

.... उत्तरवादी/गण

==========

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री आशीष गिरि, वरीय अधिवक्ता श्री सुमित कुमार झा, अधिवक्ता सुश्री रिया गिरि, अधिवक्ता
सी.बी.आई के लिए	:	श्री अवनीश कुमार सिंह, एस.पी.पी., सी. बी. आई. श्री अंबर नारायण, अधिवक्ता श्रीमती बरखा, अधिवक्ता

		श्री मुकल कुमार सिंह, अधिवक्ता
भारत संघ के लिए	:	श्री अवधेश कुमार पांडे, वरिष्ठ सी.जी.सी.
		श्री लोकेश, अधिवक्ता
		श्री अभिषेक कुमार वर्मा, अधिवक्ता

==========

रिट याचिका- *यह याचिका सीबीआई द्वारा याचिकाकर्ता के विरुद्ध दर्ज की गई प्राथमिकी को रद्द करने के लिए दायर की गई थी, जिसमें सरकारी अनुबंधों में कथित रिश्वतखोरी का आरोप लगाया गया था।*

न्यायालय का निर्णय: *धारा 17A के अनुसार, किसी भी लोक सेवक द्वारा किए गए अपराध, जो उसके आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित हो, की जाँच, जाँच-पड़ताल या जाँच-पड़ताल शुरू करने से पहले, केंद्र सरकार, राज्य सरकार या उसे हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है। आधिकारिक कार्यों का निर्वहन करने का अर्थ है कि वे कार्य विधिपूर्वक, ईमानदारी से और किसी को अनुचित लाभ पहुँचाए बिना किए जाएँ। यदि कोई व्यक्ति अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जानबूझकर किसी अन्य को अनुचित लाभ देता है, और वह लाभ अवैध रिश्वत के बदले में दिया गया है, तो इसे आधिकारिक कार्यों का निर्वहन नहीं माना जा सकता।*

धारा 17A को 2018 में संशोधन द्वारा इस उद्देश्य से जोड़ा गया था कि सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों को जाँच एजेंसी द्वारा उत्पीड़न से बचाया जा सके। यदि कोई व्यक्ति सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन अनियमित तरीके से करता है और उसे धारा 17A के तहत सुरक्षा दी जाती है, तो इसका उद्देश्य विफल हो जाएगा और सभी आरोपी, जो अवैध रिश्वत के बदले अनुचित लाभ प्रदान करते हैं, इस धारा का दुरुपयोग करेंगे। यह धारा 17A का उद्देश्य नहीं हो सकता। (पैरा 32)

वर्तमान मामले में, सीबीआई ने जाँच के दौरान अभियुक्तों, जिनमें याचिकाकर्ता भी शामिल हैं, के विरुद्ध साक्ष्य एकत्र किए हैं, जिनसे यह स्पष्ट होता है कि याचिकाकर्ता और अन्य अभियुक्तों ने रेलवे रेक की

बुकिंग के मामले में कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ पहुँचाने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया। यदि अभियुक्तों की भूमिका को इस दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसा कि यह न्यायालय करना चाहता है, तो धारा 17A के तहत पूर्व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं है। (पैरा 33)

धारा 17A के तहत स्वीकृति आदेश की अनुपस्थिति का प्रश्न केवल मुकदमे के समय देखा जा सकता है, क्योंकि यह अभियुक्त/याचिकाकर्ता पर निर्भर करेगा कि वह संभाव्यता के सिद्धांत के आधार पर यह साबित करे कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का पालन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और बिना किसी पक्षपात के किया। ऐसी स्थिति में, यदि धारा 17A के बिना जाँच की जाती है, तो यह विधि विरुद्ध नहीं मानी जाएगी। (पैरा 34)

रिट याचिका अस्वीकृत की जाती है।*(पैरा 36)*

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

गणपूर्ति: माननीय न्यायमूर्ति श्री बिबेक चौधरी

सी. ए. वी. निर्णय

तिथि:25-02-2025

1. याचिकाकर्ता पूर्व मध्य रेलवे का एक अधिकारी है। इस अभिकथन पर कि याचिकाकर्ता के साथ पूर्व मध्य रेलवे के अन्य अधिकारियों और सदस्यों और कर्मचारियों का नवल किशोर लाढ़ा, मेसर्स आभा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक के साथ अवैध संबंध है, जिसका कार्यालय ओम टावर, 32 जवाहर लाल नेहरू रोड, 12 वीं मंजिल, कोलकाता-700071 में है और याचिकाकर्ता उक्त कंपनी और पूर्व मध्य रेलवे के अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मिलीभगत और साजिश में अवैध परितोषण स्वीकार करते हुए अधिकार से बाहर के रेलवे रेक्स आरक्षित करके कथित कंपनी को अनुचित लाभ

दिया करते थे।उक्त जानकारी पटना के सी.बी.आई. अधिकारियों को मिली थी। यह अभिकथन किया गया था कि उक्त नवल किशोर लाढ़ा ने आवश्यकता पड़ने पर रेलवे रैक और अन्य संबद्ध मामलों की अपनी आकस्मिक आवश्यकता को संजय कुमार, रुपेश कुमार (याचिकाकर्ता), सचिन मिश्रा और अन्य पूर्व मध्य रेलवे के अधिकारी और कर्मचारियों के साथ याचिकाकर्ता के समक्ष आगे बढ़ाया और आकस्मिक परिस्थितियों में रेलवे रैक उपलब्ध कराने के बदले में, याचिकाकर्ता नें 24 मई, 2022 को 4 लाख रुपये और 27 जून, 2022 को 6 लाख रूपये प्राप्त किये थे। सी.बी.आई. को जानकारी मिली कि 16 जुलाई, 2022 को नवल किशोर लाढ़ा ने अपने भाई मनोज लाढ़ा को 10 लाख रुपये भेजने का निर्देश दिया जो पटना, समस्तीपुर और हाजीपुर में अवैध परितोषण के रूप में विभिन्न व्यक्तियों को भुगतान किया जाएगा। 30 जुलाई, 2022 को नवल किशोर लाढ़ा ने फिर से मनोज लाढ़ा और बजरंग लाढ़ा को अलग-अलग लिफाफों में पटना, सोनपुर और समस्तीपुर में 23.5 लाख रुपये भेजने का निर्देश दिया, जिनमें से प्रत्येक में रु 6 लाख, रु 6 लाख, रु 5 लाख, रु 3 लाख, रु2.75 लाख रु. 50, 000/- और रु 25, 000/- पूर्व मध्य रेलवे के विभिन्न अधिकारियों को सौपने थे।मनोज लाढ़ा ने अपने वाहन चालक मनोज साहा से कहा कि वह एक पैकेट में अलग-अलग लिफाफों में रखे हुए उपरोक्त पैसे के साथ पटना जाए, ताकि उसे रुपेश कुमार (याचिकाकर्ता) सहित अलग-अलग लोगों को सौंपा जा सके।

2. उक्त जानकारी को कार्यान्वित करने के लिए, सी.बी.आई. ने एक ट्रैप दाल का गठन किया, जिसमें सी. बी.आई.के अधिकारी और दो स्वतंत्र गवाह अर्थात अफसार अकील और जय शंकर प्रसाद सिंह शामिल

थे। प्री-ट्रैप ब्रीफ के बाद, ट्रैप दल ने 31 जुलाई, 2022 को प्रातः 10 बजे से पाटलिपुत्र रेल परिसर, दीघा, पटना पर निगरानी रखी। लगभग 12.30 बजे, एक एक्स.यू.वी. 500 कार, जिसका पंजीकरण सं. डब्ल्यू.बी.60 एस 0222 पाटलिपुत्र रेल परिसर पहुंची।चालक धूसर रंग का थैला लेकर कार से उतरा और पाटलिपुत्र रेल परिसर, दीघा पटना के परिसर में प्रवेश किया। ट्रैप दल बाहर इंतजार कर रही थी और जैसे ही मनोज कुमार साहा परिसर से बाहर आया, उसे गेट के बाहर पकड़ लिया गया। जब उससे पूछा गया तो उसने खुलासा किया कि उसने संजय कुमार सी.एफ.टी.एम. को फ्लैट संख्या 502 बी, 5 वीं मंजिल, बी ब्लॉक पाटलिपुत्रा रेलवे परिसर, दीघा पटना में स्थित उनके आवासीय परिसर में एक पीले बैग में 6 लाख रुपये की रिश्वत की राशि सौंपी थी। टीम तुरंत संजय कुमार के आवास पर गई और उन्हें रिश्वत के रूप में 6 लाख रुपये लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया। उक्त संजय कुमार ने धन की स्वीकृति की बात स्वीकार की और उक्त पीले रंग का थैला ट्रैप के प्रभारी सीबीआई अधिकारी को सौंप दिया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया और मौके पर उचित जब्ती सूची के तहत पैसे जब्त कर लिए गए।संजय कुमार के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 (1) (डी) के साथ पठित धारा 7 के तहत मामला दर्ज किया गया और सीबीआई ने आगे की जांच को खुला रखते हुए 29 सितंबर, 2022 को उनके खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया। इसके बाद 30 मई, 2023 को एक पूरक आरोप-पत्र दायर किया गया। सी.बी.आई. ने 12 जुलाई, 2023 के आदेश के माध्यम से अभियोजन की मंजूरी भी प्राप्त की और इसे विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। आरोप-पत्र में यह भी

कहा गया है कि संजय कुमार को गिरफ्तार करने के बाद मनोज कुमार साहा के भूरे रंग के थैले की तलाशी ली गई और कुछ पत्रों और पत्राचार के साथ पैसों वाले छः थैले बरामद किए गए। उपरोक्त एक्स.यू.वी. वाहन के चालक मनोज कुमार साहा द्वारा दिए गए बयान के आधार पर याचिकाकर्ता को 1 अगस्त, 2022 को गिरफ्तार किया गया था।

3. उचित स्वीकृति के अभाव के संबंध में, याचिकाकर्ता की ओर से 31 जनवरी, 2024 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप आरोप-पत्र की सत्यता और संज्ञान के आदेश को चुनौती देते हुए एक पूरक हलफनामा दायर किया गया है।

4. याचिकाकर्ता की ओर से यह आग्रह किया जाता है कि सी.बी.आई. के पास केंद्र सरकार की कोई पूर्व स्वीकृति नहीं है जैसा कि उक्त प्रावधान के तहत अनिवार्य रूप से आवश्यक है, धारा 19 के अंतर्गत अनुमोदन आदेश विधि के अनुसार निर्गत नहीं किया गया था और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कोई अपराध नहीं बनता है।

5. अपने तर्क के समर्थन में, याचिकाकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के अंतर्गत मामलों के प्रसंस्करण के लिए दिनांक 3 सितंबर, 2021 को एक मानक संचालन प्रक्रिया दायर की है।

6. उत्तरवादी गण ने जवाबी हलफनामे के साथ-साथ पूरक जवाबी हलफनामा भी दायर किया है। उत्तरवादी गण की ओर से कहा गया है कि याचिकाकर्ता को मनोज कुमार साहा से प्राप्त जानकारी के आधार पर

पकड़ा गया था, जो मनोज कुमार लाढ़ा से रिश्वत के पैसे वहन करता था और एक दूधवाला भी जो रुपेश कुमार (याचिकाकर्ता) द्वारा प्राप्त रिश्वत के पैसे के वाहक के रूप में काम करता था। अभियुक्त के विरुद्ध अन्वेषण शुरू करने के लिए पी. सी. अधिनियम, 1988 की धारा 17ए के तहत संबंधित विभाग से पूर्व अनुमोदन मांगने के लिए अभियुक्त की दलील पर, सी. बी. आई. द्वारा प्रस्तुत किया गया था कि वर्ष 2018 में संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए का पहला परंतुक निम्नानुसार कहता हैः- "बशर्ते कि अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई अनुचित लाभ स्वीकार करने या स्वीकार करने का प्रयास करने के आरोप में मौके पर ही किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी से सम्बंधित मामलों के लिए ऐसी कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं होगी।

7. याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री आशीष गिरि ने 30 जुलाई, 2022 को तत्काल मामले में सी.बी.आई. द्वारा संस्थित एफ.आई.आर. का उल्लेख किया, जिसके आधार पर मामला सं. आर.सी. 8 (ए)/2022 को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 8 के साथ पठित भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी के तहत निबंधित किया गया था और प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता को ट्रैप दल द्वारा गिरफ्तार नहीं किया गया था। वे समस्तीपुर में रहते थे। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि मनोज कुमार साहा, रिश्वत के पैसे का अभिकथित वाहक, अवैध परितोषण का भुगतान करने के लिए समस्तीपुर गए थे।दूसरी बात, याचिकाकर्ता से कोई वसूली नहीं की गई थी। उक्त मनोज कुमार साहा ने याचिकाकर्ता का नाम अवैध परितोषण लेने के अपराध में अभियुक्त में से एक के रूप में नहीं बताया। इसलिए

एफ.आई.आर. में लगाए गए अभिकथन अन्वेषण के दौरान अन्वेषण अधिकारी द्वारा एकत्र किए गए साक्ष्य से पुष्ट नहीं हुए हैं।

8. इस बिंदु पर, एफ.आई.आर. के प्रासंगिक भागों को नीचे उद्धृत किया जाना आवश्यक हैः

> *"22. जांच में आगे पता चला कि आरोपी व्यक्तियों के दूरभाष क्रमांकों को सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद प्रासंगिक अवधि के दौरान अन्तर्रोधित किया गया था। अभियुक्त व्यक्तियों की रिकॉर्ड की गई टेलीफोनिक बातचीत अन्वेषण के दौरान एकत्र की जाती है जो मामले के तथ्यों की पुष्टि भी करती है।*
>
> *24. उपरोक्त रिकॉर्ड किए गए फोन कॉल की जांच से पता चला कि अभियुक्त संजय कुमार, सी.एफ.टी.एम. ने अभियुक्त नवल किशोर लाढ़ा और मनोज कुमार लाढ़ा से 10-10 लाख रुपये 24.05.2022 और 20.06.2022 को, जो उनके ड्राइवर मनोज कुमार साहा के माध्यम से वितरित किए गए थे। अन्य अभियुक्त रुपेश कुमार ने अभियुक्त नवल किशोर लाढ़ा और मनोज कुमार दाधा से 24.05.2022 को 4 लाख एवं अन्य 27.06.2022 को 6 लाख रूपये की रिश्वत की राशि प्राप्त की थी,जो उनके वाहन चालक मनोज कुमार साहा के माध्यम*

से सौंपी गई थी। इसी तरह, अभियुक्त संचिन कुमार मिश्रा ने भी अभियुक्त नवल किशोर लाढ़ा और मनोज कुमार लाढ़ा से 24.05.2022 को 6 लाख रुपये एवं अन्य 11.06.2022 को 3.5 लाख रुपये रिश्वत प्राप्त किये थे जो उनके वाहन चालक मनोज कुमार साहा के माध्यम से सौंपे गए थे.....

29. अन्वेषण के दौरान संजय कुमार, रुपेश कुमार, सचिन कुमार मिश्रा, नवल किशोर लाढ़ा और मनोज कुमार साहा के आवाज़ के नमूने एकत्र किए गए हैं। समस्तीपुर के श्री संजय कुमार पुत्र अयोध्या राय, दूधवाले की आवाज का नमूना भी एकत्र किया गया, जो आरोपी रुपेश कुमार की ओर से मनोज कुमार साहा से रिश्वत की राशि वाले पैकेटों को इकट्ठा करने में शामिल पाए गए। इस प्रकार एकत्र की गई सभी आवाजों के नमूने डी.वी.डी. के साथ सी.एफ.एस.एल. को भेजे गए हैं, जिसमें वॉयस स्पेक्ट्रोग्राफ जांच और राय के लिए अभियुक्त व्यक्तियों के बीच हुई टेलीफोन पर हुई बातचीत की रिकॉर्डिंग के संबंध में 54 एन.ओ.एस. वॉयस फाइलें हैं। प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

30. अन्वेषण से पता चला कि श्री संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय अयोध्या राय, दूधवाला रुपेश

कुमार के घर दूध और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करता था और रुपेश कुमार द्वारा पूछे जाने पर, उसने कई मौकों पर आरोपी मनोज कुमार साहा से पैकेट (नकदी के रूप में रिश्वत की राशि वाले) एकत्र किए थे।उक्त श्री संजय कुमार पुत्र स्वर्गीय अयोध्या राय का बयान धारा 164 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कई अवसरों पर मनोज कुमार साहा से रुपेश कुमार की ओर से रिश्वत की राशि एकत्र करने की बात स्वीकार की है"।

9. याचिकाकर्ता की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता पूरक आरोप-पत्र के कंडिका 11 का उल्लेख करते हैं, जिसमें निम्नलिखित कहा गया है:-

"अन्वेषण से यह भी पता चला कि मेसर्स आभा एग्रो एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, दलखोला के मनोज लाढ़ा ने 24.06.2022 के लिए एक प्राथमिक मांगपत्र प्रतिधारित किया है। यह भी पता चलता है कि समस्तीपुर मंडल के बदला घाट के स्टैकिंग रजिस्टर के पृष्ठ 50 के अनुसार, 23.06.2022 को करीब 07.30 बजे, माल नियंत्रक द्वारा दिए गए तत्कालीन वरिष्ठ डी.ओ.एम. समस्तीपुर श्री रुपेश कुमार के आदेश के अनुसार मेसर्स गोपाल ट्रेडिंग

कंपनी, डालकोला के निकेत लाढ़ा को सामान्य मांगपत्र पर 48 घंटे के लिए दी गई थी। श्री रुपेश कुमार तत्कालीन वरिष्ठ डी.ओ.एम. समस्तीपुर का आदेश नियंत्रण आदेश पुस्तिका में तत्कालीन संचालन नियंत्रक, समस्तीपुर, महेश कुमार भारती के हस्तलिपि में अंकित है। मेसर्स गोपाल ट्रेडिंग कंपनी, डालकोला के निकेत लाढ़ा द्वारा स्टैकिंग और लोडिंग 26.06.2022 को पूरी हुई, जिसके कारण मेसर्स आभा एग्रो एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के मनोज लाढ़ा द्वारा 24.06.2022 के लिए आरक्षित किए गए प्राथमिक मांगपत्र का व्यपगमन हुआ।इस प्रकार, तत्कालीन वरिष्ठ डी.ओ.एम., समस्तीपुर, श्री रुपेश कुमार के दिनांक 23.06.2022 के आदेश के कारण मनोज लाढ़ा द्वारा आरक्षित किए गए प्राथमिक मांगपत्र का व्यपगमन हुआ और रेलवे को भी क्षति हुई। सम्बंधित दस्तावेज़ अर्थात स्टैकिंग रजिस्टर, नियंत्रण आदेश पुस्तिका जब्त किए गए हैं एवं अन्वेषण के दौरान प्रासंगिक गवाहों से पूछताछ की गई है, जिससे ये तथ्य साबित हुए हैं।

10. श्री गिरि, याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरीय अधिवक्ता,इसके बाद 12 जुलाई, 2023 को अवर सचिव-III/डी.ए.आर., रेलवे बोर्ड द्वारा निर्गत स्वीकृति आदेश का उल्लेख करते हैं।

11. श्री गिरि द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि 2018 में संशोधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17-ए में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी पुलिस अधिकारी इस अधिनियम के तहत किसी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भी अपराध की कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण नहीं करेगा, जहां कथित अपराध पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसे लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी भी अनुशंसा या निर्णय से संबंधित है -

> *(क) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जो उस समय कार्यरत है या था, जब अपराध करने का आरोप लगाया गया था, उस सरकार के संघ के मामलों के संबंध में;*
>
> *(ख) किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में जो उस समय कार्यरत है या था, जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था, किसी राज्य के मामलों के संबंध में, उस सरकार का; और*
>
> *(ग) किसी अन्य व्यक्ति के मामले में, उसे उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी, उस समय जब अपराध किए जाने का आरोप लगाया गया था।*

12. याचिकाकर्ता की ओर से यह तर्क दिया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध अभिकथन यह है कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्य के निर्वहन में मेसर्स आभा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड को

अवैध तरीके से रेलवे रैक आवंटित किए।इस प्रकार, यह रुपेश कुमार (याचिकाकर्ता) का आधिकारिक कर्तव्य है कि वह रेलवे रैक/वैगन द्वारा विभिन्न वस्तुओं के परिवहनकर्ताओं को रैक आवंटित करें। इस प्रकार, आधिकारिक कार्य का निर्वहन करते समय, याचिकाकर्ता ने कथित रूप से मेसर्स आभा एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों का पक्ष लेकर रिश्वत ली। इसलिए, धारा 17 ए के अंतर्गत स्वीकृति के आदेश के बिना सी.बी.आई.का पूरा अन्वेषण अवैध है और केवल इसी आधार पर, याचिकाकर्ता के खिलाफ आपराधिक मामले को निरस्त करने की आवश्यकता है।

13. अपने तर्क के समर्थन में, श्री गिरि सर्वप्रथम मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के ***योगेश नय्यर एवं अन्य बनाम एम. पी. राज्य एवं अन्य, एस.सी.सी.2023 ऑनलाइन एम. पी. 2049*** में प्रतिवेदित मामले में एक खंडपीठ के निर्णय को उल्लिखित करते हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि धारा 17 ए के मात्र अवलोकन से पता चलता है कि पी. सी. अधिनियम में उक्त प्रावधान को शामिल करने से पहले, अभियोजन को पूर्व स्वीकृति का संरक्षण देने वाला एकमात्र प्रावधान धारा 19 था जो अपराध के संज्ञान लेने के चरण में लागू होता है, लेकिन किसी पूर्व तिथि से नहीं। 26.07.2018 को, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) में धारा 17-ए को शामिल करने सहित व्यापक संशोधन किए गए, जिससे लोक सेवक को पूछताछ/जांच/अन्वेषण के स्तर पर अतिरिक्त सुरक्षा मिली।पुलिस अधिकारी को पी.सी. अधिनियम के तहत कथित किसी भी अपराध की जांच/पूछताछ/अन्वेषण करने से

प्रतिबंधित कर दिया गया था, जब की गई सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित आरोप इस प्रकार हों:

> ***5.1*** *तत्काल मामले में, अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता इस बात पर विवाद नहीं करते हैं कि आरोप सहायक अभियंता और उप-अभियंता के रूप में याचिकाकर्ताओं द्वारा लिए गए निर्णय या/और की गई सिफारिश से संबंधित हैं।इस प्रकार, अभिकथन की प्रकृति से, धारा 17-ए में निहित प्रतिबंध आकर्षित हो जाता है।*
>
> ***5.2*** *एक पुलिस अधिकारी के लिए जाँच या अन्वेषण करना निषेध है। एफ.आई.आर. दर्ज होने के बाद हीं अन्वेषण किया जाता है और चूंकि तत्काल मामले में, एफ.आई.आर. 10.12.2018 पर दर्ज की गई थी, जो कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा 17-ए के बाद क़ानून की पुस्तक डब्ल्यू.ई.एफ. 26.07.2018 को आई थी, इसलिए पुलिस को किसी भी पिछली सूचना के अभाव में, आक्षेपित एफ.आई.आर.के अनुसार अन्वेषण करने से प्रतिबंधित किया गया था, क्योंकि याचिकाकर्ताओं को उस समय पद से हटाने के लिए सक्षम*

प्राधिकारी का कोई पूर्व अनुमोदन नहीं था जब अपराध के कारित होने का आरोप लगाया गया था।

5.3 *अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता हालांकि प्रस्तुत करते हैं कि धारा 17-ए अपराध के पंजीकरण/प्राथमिकी दर्ज करने को प्रतिबंधित नहीं करती है, बल्कि केवल अन्वेषण पूछताछ /जांच पर रोक लगाती है।*

6. *अभियोजन अभिकरण के विद्वान अधिवक्ता का यह कहना सही हो सकता है कि अनुमोदन के अभाव में प्राथमिकी दर्ज करना पीसी अधिनियम की धारा 17-ए द्वारा स्पष्ट रूप से वर्जित नहीं है। हालांकि, जिस चीज पर प्रतिबंध लगाया गया है वह एक पुलिस अधिकारी द्वारा जांच करना है और चूंकि प्राथमिकी दर्ज करना अन्वेषण का प्रमुख बिंदु है, इसलिए यह स्पष्ट है कि यदि प्राथमिकी दर्ज की जाती है, तो भी सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना अन्वेषण घटित नहीं हो सकता है।*

7. *तत्काल मामले में, आक्षेपित प्राथमिकी दर्ज होने के बाद, अन्वेषण किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई आरोप पत्र दायर नहीं किया गया है और अभियोजन पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह*

विवादित नहीं है कि अन्वेषण शुरू करने और संचालित करने से पहले सक्षम प्राधिकारी की कोई पूर्व अनुमोदन नहीं लिया गया है।

8. *इसलिए, आक्षेपित एफ.आई.आर. के अनुसार किया गया अन्वेषण पी.सी. अधिनियम की धारा 17-ए के अंतर्गत दोषपूर्ण है।*

9. *तदनुसार, याचिका को निम्नलिखित सीमा तक स्वीकृत किया जाता हैः*

1. एफ.आई.आर. दर्ज किए जाने के बाद किया गया अन्वेषण दोषपूर्ण है और इसे अपास्त किया जाता है।

2. हालाँकि, पी.सी अधिनियम की धारा 17-ए के संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने या अन्वेषण करने के लिए अभियोजन अभिकरण को स्वतंत्रता दी गई है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने भोपाल पुलिस स्टेशन ई.ओ.डब्ल्यू. में अपराध संख्या 37/2018 वाली एफ.आई.आर. को यथावत बरकरार रखा है।

14. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता भी ***2022 एस.सी.सी. ऑनलाइन राज 1303*** में प्रतिवेदित ***हिमांशु यादव***

बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के मामले में एक समन्वय पीठ के निर्णय का उल्लेख करते हैं। इस मामले में भी राजस्थान उच्च न्यायालय ने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के दायरे पर विचार-विमर्श किया था। न्यायालय ने ***(2020) 2 एस.सी.सी. 338*** में प्रतिवेदित ***यशवंत सिन्हा बनाम सी. बी. आई.*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा रखा,यह अभिनिर्धारित करने के लिए कि 1988 के अधिनियम की धारा 17ए माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए यशवंत सिन्हा के फैसले के पैराग्राफ 117 के संदर्भ में अनिवार्य है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 117 में निम्नानुसार माना:

> *"117. धारा 17ए के संदर्भ में, किसी भी पुलिस अधिकारी को किसी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भी अपराध की कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण संचालित करने की अनुमति नहीं है, जहां अभिकथित अपराध लोक सेवक द्वारा पूर्व अनुमोदन के बिना अपने सार्वजनिक कार्यों के निर्वहन में की गई किसी भी अनुशंसा या निर्णय से संबंधित है, अन्य बातों के साथ-साथ, उस समय लोक सेवक को उसके पद से हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमति के बिना अपराध अभिकथित किया गया था।लोक सेवक के संबंध में, जो इस मामले में शामिल है, यह खंड (सी) लागू होता है।इसलिए, जब तक पूर्व अनुमोदन नहीं है, तब तक ना तो जांच*

हो सकती है और ना हीं पूछताछ या अन्वेषण हो सकता है। इस संदर्भ में यह ध्यान देना उचित है कि परिवाद, जो याचिकाकर्ताओं द्वारा 2018 की रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 298 में दायर की गई है, प्रथम उत्तरवादी -सी.बी.आई. के समक्ष दायर की गई है, धारा 17 ए को शामिल करने के बाद की गई है।परिवाद दिनांक 04.10.2018 का है। पैराग्राफ 5 उस राहत को निर्धारित करता है जो परिवाद में मांगी गई है जो विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के लिए है।परिवाद के पैराग्राफ 6 और 7 धारा 17 ए के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, जो इस प्रकार हैः

6. हम यह भी जानते हैं कि हाल ही में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अन्वेषण या जांच के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को लागू करने के लिए अधिनियम की धारा 17 (ए) को एक संशोधन के माध्यम से लाया गया है।

7. हम यह भी जानते हैं कि यह आपको उस विचित्र स्थिति में डाल देगा, जिसमें आपको स्वयं अभियुक्त से उसके खिलाफ किसी मामले के अन्वेषण करने की अनुमति मांगनी होगी। हम

अनुभव करते हैं कि इस मामले में आपके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस अपराध के अन्वेषण के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत सरकार से अनुमति लेने के लिए कम से कम पहला कदम उठाएं और जिसके तहत, "संबंधित प्राधिकारी तीन महीने की अवधि के भीतर इस धारा के तहत अपना निर्णय बताएगा, जिसे ऐसे प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने के कारणों के लिए, एक महीने की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।"

15. याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री गिरि द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि निर्विवाद रूप से अवैध परितोषण की मांग का आरोप याचिकाकर्ता के आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन से संबंधित है और सक्षम प्राधिकारी का कोई पूर्व अनुमोदन प्राप्त नहीं किया गया है, ऐसे में रिश्वत लेने के आरोप में याचिकाकर्ता को मौके पर ही गिरफ्तार करने का प्रयास या कार्यवाही (जो दायर किया गया था) अवैध हो सकता है या नहीं भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद की कार्यवाही, सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना याचिकाकर्ता के खिलाफ आगे का अन्वेषण और एफ.आई.आर. दर्ज करना शुरू से ही अमान्य है।

16. इस प्रकार, याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा यह आग्रह किया जाता है कि पूर्व अनुमोदन के अभाव में अन्वेषण का आरम्भ अंतर्निहित कमी से ग्रस्त पाई गई है।

17. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरीय अधिवक्ता ने ***नारा चन्द्रबाबू नायडू बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और ए.एन.आर. 2024 एस. सी. सी. ऑनलाइन एस.सी. 47*** में प्रतिवेदित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का उल्लेख किया है

18. उक्त निर्णय का उल्लेख करते हुए, श्री गिरि द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि पी. सी. अधिनियम की धारा 17 ए, जो दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान अधिनियम, 1946 की धारा 6 ए में निहित प्रावधानों के समरूप है, को शामिल करने का उद्देश्य ईमानदार लोक सेवकों को उनके आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के प्रामाणिक प्रदर्शन में लिए गए निर्णयों या कार्यों के संबंध में जांच या अन्वेषण के माध्यम से उत्पीड़न से बचाना है। जबकि धारा 19 न्यायालय को पी. सी. अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान लेने से रोकती है, जो कथित तौर पर लोक सेवकों द्वारा किया गया है, सिवाय उसमे उल्लिखित संबंधित अधिकारियों की पूर्व मंजूरी के, धारा 17ए पुलिस अधिकारी को उसमे उल्लिखित संबंधित अधिकारियों के पूर्व अनुमोदन के बिना, लोक सेवक द्वारा की गई अनुशंसाओं या आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में लिए गए निर्णय से संबंधित अपराधों की कोई जांच या पूछताछ या अन्वेषण करने से रोकती है।

19. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री गिरि द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि धारा 17 ए, प्रावधान में निर्दिष्ट पदाधिकारियों के पूर्व अनुमोदन के बिना लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए अपराध की जांच, पूछताछ या अन्वेषण शुरू करने के लिए एक कानूनी वर्जन का गठन करता है, इसलिए ऐसा प्रावधान प्रक्रियात्मक प्रकृति का है और इसलिए, धारा 17 ए के अधिदेश को पूर्वव्यापी रूप से लागू किया जाना चाहिए, अर्थात, लंबित जांच, पूछताछ या अन्वेषण के लिए भी, यदि पूर्वव्यापी रूप से लागू नहीं किया जाता है, तो इसे भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है।निर्माण का मुख्य सिद्धांत यह है कि प्रत्येक क़ानून का भावी संचालन होगा जब तक कि यह स्पष्ट रूप से या पूर्वव्यापी संचालन के लिए आवश्यक निहितार्थ द्वारा नहीं बनाया जाता है। पूर्वव्यापीता के खिलाफ कोई धारणा नहीं हो सकती है।तत्काल मामले में, संशोधन वर्ष 2018 में आया था जिसके द्वारा धारा 17 ए को जोड़ा गया था, अधिनियम के अधिसूचना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा डब्ल्यू. ई. एफ. 26.07.2018 को विशेष रूप से लागू किया जाएगा। इसलिए, विधायिका का इरादा यह भी था कि संशोधन को किसी विशेष तिथि से संभावित रूप से लागू किया जाए, ना कि पूर्वव्यापी या प्रतिवर्ती रूप से।

20. ***विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा और अन्य, (2020) 9 एस.सी.सी. 1*** में प्रतिवेदित, तीन न्यायाधीशों की एक पीठ ने पूर्वव्यापी क़ानून, प्रतिवर्ती कानून और उत्तरव्यापी क़ानून के प्रभाव में अंतर किया है और निम्नानुसार प्रेक्षित किया हैः

> *"61. उत्तरव्यापी क़ानून नए अधिकार प्रदान करने वाले अपने अधिनियमन की तिथि से संचालित होता है। पूर्वव्यापी क़ानून पीछे की ओर काम करता है और मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है। एक पूर्ववर्ती क़ानून वह है जो पूर्वव्यापी रूप से काम नहीं करता है। यह भविष्य में काम करता है। हालाँकि, इसका संचालन उस चरित्र या स्थिति पर आधारित है जो पहले उत्पन्न हुआ था। विशेषता या घटना जो अतीत में हुई थी या आवश्यकताएं जो पूर्ववर्ती घटनाओं से ली गई थीं। संशोधित धारा 6 के तहत, चूंकि अधिकार जन्म से दिया जाता है, यानी एक पूर्ववर्ती घटना है, और प्रावधान संशोधन अधिनियम की तिथि को और उसी तिथि से अधिकारों का दावा करने के संबंध में संचालित होते हैं।*

21. पूर्वव्यापी और प्रतिवर्ती विधि की अवधारणा को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***दर्शन सिंह बनाम राम पाल सिंह, 1992 पूरक (1) एस.सी.सी*** में प्रतिवेदित मामले में बताया गया है जो उपरोक्त निर्णय के पैराग्राफ 35 से 37 प्रासंगिक हैं और नीचे उद्धृत किए गए हैंः

> *"35. श्री सच्चर ठाकुर गोकुलचंद बनाम परवीन कुमारी [(1952) 1 एस.सी.सी. 713:ए.आई.आर. 1952 एस. सी. 231:1952 एस.सी.आर. 825], गारिकापट्टी वीराया बनाम एन. सुब्बैया चौधरी [1957 एस.सी.आर 488:ए.आई.आर. 1957 एस.सी. 540], जोस दा कोस्टा बनाम बास्कोरा सदाशिव सिनाई नारकोर्निम [(1976) 2 एस.सी.सी. 917], गोविंद दास बनाम आई.टी.ओ. [(1976) 1 एस.सी.सी. 906:1976 एस.सी.सी. (कर) 133], हेंशॉल बनाम पोर्टर [(1923) 2 के.बी.डी. : 193 : 39 टी.एल.आर 409], संयुक्त*

प्रांत बनाम एम.एस.टी अतिगा बेगम [1940 एफ.सी.आर. 110:ए.आई.आर. 1941 एफ. सी. 16], उनके इस निवेदन के समर्थन में कि संशोधन अधिनियम को विधायिका द्वारा या तो स्पष्ट रूप से या आवश्यक निहितार्थ द्वारा पूर्वव्यापी नहीं बनाया गया था क्योंकि अधिनियम ने स्वयं स्पष्ट रूप से प्रावधान किया था कि यह 23 जनवरी, 1973 को लागू हुआ माना जाएगा; और इसलिए इसे भूतलक्षी संचालन देने का कोई औचित्य नहीं होगा। श्री सच्चर का तर्क है कि विरोध करने का निहित अधिकार, जो अलगाव होने पर बनाया गया था और जिस पर न्यायालय में विचारण किया गया था, को हटाया नहीं जा सकता था। दूसरे शब्दों में, अपील में विरोध करने का निहित अधिकार संशोधन अधिनियम से प्रभावित नहीं हुआ था। हालाँकि, इस तर्क की सराहना करने के लिए हमें दो अधिकारों के बीच विश्लेषण और अंतर करना होगा, अर्थात्, प्रतिस्पर्धा करने का अधिकार और अवर न्यायालय के निर्णय के खिलाफ अपील करने का अधिकार।इन दो अधिकारों में से, जबकि विरोध करने का अधिकार एक प्रथागत अधिकार है, अपील करने का अधिकार हमेशा कानून का एक हिस्सा होता है। अधिनियम द्वारा अपील के लिए मंच के परिवर्तन से स्वयं अपील के अधिकार को प्रभावित नहीं कर सकता है। तत्काल मामले में हम विरोध करने के अधिकार से संबंधित है न कि अपील करने के अधिकार से। इस बात पर भी कोई विवाद नहीं है कि निहित अधिकारों के संबंध में कानून के प्रस्तावों को एक अधिनियम द्वारा नहीं लिया जा रहा है जो प्रत्यक्ष रूप से या निहितार्थ से पूर्वव्यापी नहीं है।

लेकिन केवल इसलिए कि एक अधिनियम अपने संचालन के दौरान एक पिछले कार्य या घटना की परिकल्पना करता है, इसे आवश्यक रूप से पूर्वव्यापी नहीं कहा जा सकता है। ब्लैक लॉ डिक्शनरी के अनुसार, पूर्वव्यापी का अर्थ है पीछे मुड़कर देखना; अतीत पर विचार करना; किसी क़ानून या विचाराधीन अधिनियम से पहले मौजूद चीजों का संदर्भ होना। उसी शब्दकोश के अनुसार, पूर्वव्यापी विधि का अर्थ है एक ऐसा कानून जो पीछे की ओर देखता है या अतीत पर विचार करता है; जो लागू होने से पहले होने वाले कार्यों या तथ्यों, या होने वाले अधिकारों को प्रभावित करने के लिए बनाया गया हो। प्रत्येक कानून जो मौजूदा कानूनों के तहत अर्जित निहित अधिकारों को छीन लेता है या बाधित करता है, या एक नया दायित्व का सृजन करता है, एक नया कर्तव्य लगाता है, या पहले से ही संव्यवहारों या बातों के संबंध में एक नई अक्षमता को जोड़ता है। प्रतिवर्ती क़ानून का अर्थ है एक ऐसा क़ानून जो पहले से ही किए गए संव्यवहारों या बातों पर एक नये दायित्व का सृजन करता है या निहित अधिकारों को नष्ट या बाधित करता है।

36. *हैल्सबरी के लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड में (चौथा संस्करण, खण्ड. 44, पैराग्राफ 921) में हम पाते हैं:*

"921. 'पूर्वव्यापी' का अर्थ।— यह कहा गया है कि 'पूर्वव्यापी' कुछ हद तक अस्पष्ट है और इस तथ्य के कारण बहुत भ्रम पैदा हुआ है कि इसका उपयोग एक से अधिक अर्थों में किया जाता है। सामान्य तौर पर, हालांकि, न्यायालय किसी भी

क़ानून को पूर्वव्यापी मानती हैं जो अपने प्रारंभ से पहले अस्तित्व में आने वाले मामलों या तथ्यों पर इस अर्थ में काम करता है कि यह, भले हीं केवल भविष्य के लिए, पहले किए गए संव्यवहार या अन्य पिछले आचरण के चरित्र या परिणामों को प्रभावित करता है। इस प्रकार एक क़ानून केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं है क्योंकि यह मौजूदा अधिकारों को प्रभावित करता है; या यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी है क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए अपेक्षित शर्तों का एक हिस्सा इसके पारित होने से पहले के समय से लिया गया है"।

37. *हम यह दृष्टिकोण अपनाने के इच्छुक हैं कि तत्काल मामले में विधायिका ने 23 जनवरी, 1973 को पीछे मुड़कर देखा और प्रथा को समाप्त करने के लिए उससे आगे नहीं देखा और केवल इसलिए कि उस निर्दिष्ट तिथि पर कुछ विरोधों को अचानक समाप्त कर दिया गया था, संशोधन अधिनियम को पूर्वव्यापी नहीं बना देगा।दूसरे शब्दों में, यह केवल इसलिए पूर्वव्यापी नहीं होगा क्योंकि इसकी कार्रवाई के लिए अपेक्षित शर्तों का एक हिस्सा संशोधन अधिनियम के लागू होने के समय से पहले से लिया गया था।हमारा यह भी विचार है कि यह प्रावधान करते हुए कि "कोई भी व्यक्ति अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण को चुनौती नहीं देगा, चाहे वह पैतृक हो या गैर-पैतृक या ऐसी संपत्ति के उत्तराधिकारी के रूप में कोई नियुक्ति" ऐसे हस्तांतरण या नियुक्तियों का विरोध करने के किसी भी अधिकार को संरक्षित किए बिना,जो कि "मूल अधिनियम के लागू होने के बाद और संशोधन*

> *अधिनियम के लागू होने से पहले किए गए थे, विधायिका का इरादा निहित अधिकार को भी समाप्त करना था;और यह कि निहितार्थ से भी ऐसा ही था। इस प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है कि किसी अधिनियम को पूर्वव्यापी प्रभाव तब तक नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि विधायिका इसे स्पष्ट शब्दों या आवश्यक निहितार्थ द्वारा ऐसा नहीं किया हो।लेकिन तत्काल मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि विधायिका का यही इरादा था।इसी तरह, न्यायालय भी प्रावधान का अर्थ स्पष्ट शब्दों का उपयोग करने पर प्रतिवर्ती रूप से कार्य करने की शक्ति प्रदान करने के रूप में करेंगी। हम इन मामलों में संशोधन अधिनियम की मंशा और भाषा दोनों को स्पष्ट पाते हैं।*

22. श्री गिरि, विद्वान वरीय अधिवक्ता द्वारा ***नीरज दत्ता बनाम राज्य (गवर्नमेंट ऑफ़ एन सी टी ऑफ़ दिल्ली), (2023) 4 एस. सी. सी. 731*** में प्रतिवेदित निर्णय का हवाला देते हुए यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत आरोप साबित करने के लिए, अवैध परितोषण की मांग अनिवार्य शर्त है, जहां अन्वेषण अधिकारी द्वारा कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कभी कोई रिश्वत की मांग की थी और सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर, उसे आपराधिक मामले में आलिप्त नहीं किया जा सकता है।

23. श्री गिरि ने ***किम वानसू बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2025 एस.सी.सी. ऑनलाइन एस. सी. 17*** में प्रतिवेदित निर्णय का उल्लेख करते हुए भी प्रस्तुत किया कि इस संबंध में निर्णय लेने के लिए

कि क्या आरोप पत्र उच्च न्यायालय की असाधारण शक्ति का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत निरस्त करने के लिए उत्तरदायी है, ***हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, 1992 पूरक (1) एस.सी.सी. 335*** में प्रतिवेदित सिद्धांत का भी आधार लिया जा सकता है। भजन लाल (उपरोक्त) के पैराग्राफ 102 (6) में कहा गया है कि जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की जाती है) के किसी भी प्रावधान में संस्थित करने और कार्यवाही जारी रखने पर स्पष्ट वैधानिक रोक लगाई गई है और/या जहां संहिता या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो व्यथित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता है, वहां आपराधिक मामले को निरस्त किया जा सकता है।

24. दूसरी ओर, श्री अवनीश कुमार सिंह, विद्वान एस.पी.पी., सी.बी.आई., प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता के विद्वान वरीय अधिवक्ता ने मुख्य रूप से स्वीकृति आदेश की वैधता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत स्वीकृति आदेश के अभाव के आधार पर अपना तर्क तैयार किया है।

25. इस तरह के प्रस्तुतिकरण के खिलाफ, विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि ***मिथलेश कुमार सिंह उर्फ़ एम.के सिंह बनाम बिहार राज्य, 1998 (2) बी.एल.जे.आर. 866*** में प्रतिवेदित, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि स्वीकृति की वैधता केवल विचारण के दौरान साक्ष्य के स्तर पर रखी जाने वाली सामग्री के आधार पर तय की जा सकती है। संज्ञान के

प्रारंभिक चरण में, विद्वान विशेष न्यायाधीश ने विचार किया और आरोप पत्र दाखिल करने के समय अभिलेख में स्वीकृति आदेश पर विचार किया और पाया। उक्त स्वीकृति आदेश वैध है या नहीं, इस पर केवल विचारण के समय ही पता लगाया जा सकता है।

26. ***दिनेश कुमार बनाम चेयरमैन एयरपोर्ट ऑथोरिटी (2012) 1 एस. सी. सी. 532*** में प्रतिवेदित के मामले में माननीय सर्वोच्च के एक अन्य निर्णय को संदर्भित करते हुए,सी. बी. आई. की ओर से विद्वान विशेष पी.पी द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि स्वीकृति के अभाव और स्वीकृति की अवैधता के बीच अंतर करते हुए, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ***प्रकाश सिंह बादल बनाम.भारत संघ, 1987 में एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. एंड एच. 399,*** में प्रतिवेदित मामले में स्पष्ट शब्दों में व्यक्त किया गया कि स्वीकृति की अनुपस्थिति को किसी व्यथित व्यक्ति द्वारा शुरुआत और सीमान्त पर उठाया जा सकता है। हालांकि, यहाँ स्वीकृति आदेश उपलब्ध है, लेकिन इसकी वैधानिकता और वैधता पर प्रश्न उठाया जाता है, ऐसे मुद्दे को विचारण के दौरान उठाया जाना चाहिए।

27. सी.बी.आई. की ओर से विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि अन्यथा भी, धारा 17 ए के अनुसार किसी लोक सेवक द्वारा किये गए कथित अपराध में कोई जाँच या पूछताछ या अन्वेषण करने की स्वीकृति का आभाव कभी भी लोक सेवक के विरुद्ध संस्थित एफ.आई.आर. या उसके खिलाफ की गई कार्यवाही को निरस्त करने के लिए कभी भी आधार नहीं हो सकता है, विशेष रूप से जब उस पर

भारतीय दंड संहिता के तहत अन्य अपराधों के लिए भी आरोप लगाया जाता है। जैसा कि पहले कहा गया है, धारा 17 ए में अन्य पहलू भी निहित हैं, जैसे कि क्या कथित अपराध लोक सेवक द्वारा की गई सिफारिश या लिए गए निर्णय से संबंधित है या नहीं, और क्या ऐसी सिफारिश या निर्णय उसके आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में किया गया था या लिया गया था या नहीं आदि। ऐसे पहलुओं की जांच केवल तभी की जा सकती है जब विचारण के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए जाएँ। कथित कार्य जो प्रथम दृष्टया अपराधों का गठन करते हैं, हालांकि आधिकारिक कार्य या कर्तव्य के कथित अभ्यास के तहत किए गए हैं, धारा 17 ए के दायरे में नहीं आ सकते हैं। धारा 17 ए के तहत किसी लोक सेवक को दिए जाने वाले संरक्षण को उसके उन कार्यों तक नहीं बढ़ाया जा सका जो प्रथम दृष्टया उसके आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में नहीं थे। कोई भी अन्य व्याख्या निश्चित रूप से बहुत ही प्रारंभिक चरण में अन्वेषण को विफल करने के समान होगी। ऐसा न तो विधायिका का इरादा हो सकता है और न ही इस तरह के प्रावधान की व्याख्या इस तरह से की जा सकती है जो अपेक्षित परिणाम के विपरीत हो या भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के मूल उद्देश्य को हीं निष्फल करता हो।

28. अन्यथा भी, किसी लोक सेवक द्वारा अपने आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के कथित प्रयोग में किए गए अपराधों की जांच,पूछताछ या अन्वेषण करने के लिए धारा 17 ए में अनुध्यात अनुमोदन का अभाव न तो कार्यवाही को दूषित करेगा और न ही ऐसे लोक सेवक के खिलाफ दर्ज एफ.आई.आर. की कार्यवाही को निरस्त करने का आधार होगा।

29. ***केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो बनाम संतोष कर्णानी, (2023) 3 एस. सी. आर. 476*** में प्रतिवेदित, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि यह तर्क कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत अनिवार्य अन्वेषण की पूर्व स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है और इस प्रकार, उत्तरवादी संख्या 1 के खिलाफ शुरू की गई कार्यवाही दूषित है, का कोई कानूनी या तथ्यात्मक आधार नहीं है। धारा 17 ए केवल इस बात पर विचार करती है कि पुलिस अधिकारी किसी लोक सेवक द्वारा किए गए किसी भी अपराध की कोई जांच, पूछताछ या अन्वेषण का संचालन नहीं करेंगे, जहां कथित अपराध सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना आधिकारिक कार्यों या कर्तव्यों के निर्वहन में की गई किसी भी सिफारिश या निर्णय से संबंधित है। धारा का पहला परंतुक कथन करता है कि अनुचित लाभ स्वीकार करने के आरोप में मौके पर ही व्यक्ति की गिरफ्तारी से जुड़े मामलों में इस तरह की स्वीकृति आवश्यक नहीं है। दूसरे शब्दों में, ट्रैप मामलों के संबंध में, धारा 17 ए के तहत किसी अनुमोदन या स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

30. सी.बी.आई. की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता यह भी प्रस्तुत करते हैं कि न्यायालय भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपनी असाधारण शक्ति या दण्ड प्रकिया संहिता की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्ति के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अंतर्गत किसी मामले के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 17 ए के प्रावधान के तहत स्वीकृति की वैधता के संबंध में एक लघु विचारण नहीं संचालित कर सकता है। न्यायालय यह देखने के लिए बाध्य है कि आपराधिक कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण थी या नहीं और आरोप पत्र की

स्वीकृति के समय संज्ञान लेते हुए,विचारण न्यायालय उस बचाव को देखने की स्थिति में नहीं है जो अभियुक्त द्वारा विचारण के समय लिया जा सकता है।

31. मैंने अभियोजन पक्ष के मामले का वर्णन पहले ही कर दिया है। मैंने भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17ए में निहित प्रावधान और विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा उनके द्वारा विश्वास किए गए निर्णयों के संदर्भ में प्रस्तुत किए गए तर्कों को भी उद्धृत किया है।

32. धारा 17ए किसी पुलिस अधिकारी द्वारा किसी लोक सेवक द्वारा कथित रूप से किए गए किसी भी अपराध में जांच या पूछताछ या अन्वेषण को प्रतिबंधित करती है, जहाँ कथित अपराध उसके आधिकारिक कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन से सम्बंधित है, केंद्र सरकार या राज्य या उसे हटाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति के बिना।इसलिए, इस मुद्दे पर विचार करते समय कि क्या धारा 17ए के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता है या नहीं "आधिकारिक कार्य या कर्तव्यों के निर्वहन में" शब्द का अत्यधिक महत्व है।“कार्य के निर्वहन” का अर्थ है किसी पद या दायित्व का पालन करना या कर्तव्यों को निभाना।उदाहरण के लिए, कोई व्यक्ति रेलवे अधिकारी के आधिकारिक कार्य का निर्वहन करता है, रेलवे पटरियों का रखरखाव करता है; अन्य रेलवे वैगनों और रेक के आरक्षण के कार्यों का निर्वहन करता है; और अन्य व्यक्ति कुछ अन्य सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करता है। अतः आधिकारिक कार्य के निर्वहन का अर्थ है कानूनी रूप से, ईमानदारी से और किसी को भी अनुचित लाभ दिए बिना आधिकारिक कर्तव्य का पालन करना।यदि कोई

व्यक्ति अवैध परितोषण के बदले या उसके बदले में आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में जानबूझकर दूसरे को अनुचित लाभ देता है, तो उक्त कार्य आधिकारिक कार्य और कर्तव्य के निर्वहन में नहीं है।धारा 17 ए को 2018 में संशोधन के माध्यम से केवल जांच एजेंसी द्वारा उत्पीड़न से सार्वजनिक कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्तियों को बचाने के लिए शामिल किया गया था।यदि धारा 17 ए के तहत याचिका दागी तरीके से सार्वजनिक कार्य या कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति के लिए उपलब्ध है, तो धारा 17 ए का उद्देश्य विफल हो जाएगा और सभी मामलों में, अवैध परितोषण के खिलाफ कुछ अनुचित लाभ देने वाले अभियुक्त व्यक्ति अधिनियम के धारा 17 ए के तहत शरण लेंगे। यह धारा 17 ए का उद्देश्य नहीं हो सकता है।

33. तत्काल मामले में, सी.बी.आई. अन्वेषण के दौरान याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ इस आशय के साक्ष्य एकत्र करने में सक्षम थी कि याचिकाकर्ता रेलवे रेक आरक्षित करने के मामले में कुछ व्यक्तियों को अनुचित लाभ देने के लिए भ्रष्ट तरीके से अवैध उद्देश्य के लिए अपने कार्यालय का उपयोग करने में आशक्त थे। यदि याचिकाकर्ता सहित अभियुक्त व्यक्तियों की भूमिका को उस तरीके से देखा जाता है, जिसे यह न्यायालय लेना चाहता है, तो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 17 ए के तहत पूर्व स्वीकृति की कोई आवश्यकता नहीं हो सकती है।

34. धारा 17 ए के तहत स्वीकृति के आदेश के आभाव या अनुपस्थिति पर केवल विचारण के समय ही जाँच पड़ताल किया जा

सकता है क्योंकि यह अभियुक्त/याचिकाकर्ता को संभावना के सिद्धांत पर प्रमाणित करना है कि उसने अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन लगन से, ईमानदारी से और बिना किसी भय या पक्षपात के किया था और ऐसी परिस्थितियों में धारा 17 ए के अभाव में अन्वेषण करना विधि में दोषपूर्ण है।

35. अभिकथित अपराध में याचिकाकर्ता की संलिप्तता के संबंध में अन्य सभी बिंदु विवाद्यक तथ्य हैं जिसका निर्धारण सिर्फ विचारण के दौरान किया जा सकता है एवं रिट न्यायालय उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों के अंतर्गत आरोप पत्र और सी.बी.आई न्यायालय,पटना के विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा लिए गए संज्ञान के आदेश को निरस्त नहीं कर सकता है।

36. इस प्रकार, रिट याचिका को विरोध के आधार पर खारिज किया जाता है।

37. तथापि, लागतों के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

(बिबेक चौधरी, न्यायमूर्ति)

एसकेएम/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।